

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर

पत्रांक : 1422 / 14-1 रामपुर, दिनांक : 31 दिसम्बर 2015

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र उ०प्र०,
मुरादाबाद।

विषय :- जनपद रामपुर में मै० इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, बरेली द्वारा ग्राम रौरा कलां, तहसील मिलक के गाटा सं० 403, बिलासपुर-मिलक (एम.डी.आर. नं०-33) किमी० 31.709 की दांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.0589 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु Online Submission File No. FP/UP/Others/ 16101/2015 की जाँच आख्या देने के सम्बन्ध में।

संदर्भ - Online Submission File No. FP/UP/Others/ 16101/2015 Proposal Receiving dated 02-12-2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जनपद रामपुर में मै० इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, बरेली द्वारा ग्राम रौरा कलां, तहसील मिलक के गाटा सं० 403, बिलासपुर-मिलक (एम.डी.आर. नं०-33) किमी० 31.709 की दांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.0589 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु पेट्रोल/डीजल पम्प के निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके सम्पर्क मार्ग हेतु 0.0589 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष की पातन की अनापत्ति आवश्यक है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा - 2 के अन्तर्गत 0.0589 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के भूमि हस्तारण प्रस्ताव 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहें हैं। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रबन्धक, रिटेल सेल्स मैनेजर, मै० इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, बरेली।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, मिलक।

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर।